

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग।

संख्या टी3/बजट-01 /2018 113 पटना दिनांक 18.01.18

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित


द्वारा-वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- व्यय शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-03 प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003- शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उप शीर्ष-0005-मुख्यालय स्थापना मांग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230030030005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0005.28.05 परीक्षा संबंधी व्यय विषय शीर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा संबंधी व्यय हेतु रु 94,92,000/- (चौरानवे लाख वेरानवे हजार) मात्र बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति।

आदेश:- बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।

2. यह राशि वित्त विभाग के ज्ञापांक ब014/बी0सी0 एफ0-80/2017 96 सी0एफ0 दि0 17-01-18 के द्वारा रु 94,92,000/- (चौरानवे लाख वेरानवे हजार) मात्र की राशि की स्वीकृति।
3. इस राशि का विकलन बजट शीर्ष खण्ड II-8000- आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार- उप मुख्य शीर्ष-03 प्रशिक्षण- लघु शीर्ष 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग संख्या- 26-उप शीर्ष-0005 मुख्यालय स्थापना (विपत्र कोड 26-2230030030005) के अन्तर्गत परीक्षा संबंधी व्यय (0005.28.05) से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगी।
6. इसके निकारणी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (परीक्षा), निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


  
(के0 सेंथिल कुमार)

अपर सचिव

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी3/बजट-01 /2018 113 पटना, दिनांक- 18.01.18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना को वित्त विभाग के ज्ञापांक ब014/बी0सी0 एफ0-80/2017 96 सी0एफ0 दि0 17-01-18 की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
18/1/18


अपर सचिव

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी3/बजट-01 /2018 113 पटना, दिनांक- 18.01.18

प्रतिलिपि- 1- वित्त विभाग व्यय शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

- 2- सहायक निदेशक (परीक्षा), निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना निकारणी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0 टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
18/1/18

अपर सचिव

श्रम संसाधन विभाग।

2017-2018 के तृतीय अनुपूरक आगणन के विवरण  
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय Establishment & Committed Expenditure

17/11/18

शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा	मतदेय Voted		आय-व्ययक 2017-2018	वर्तमान 2017-2018	धनराशि 2017-2018	संशोधित 2017-2018	अनुमान 2017-2018	अनुपूरक आगणन 2017-2018
	चरम परिव्यय	आवर्तक						


1	2	3	4	5	6 = 5+7	7
भाग सं0-26 - श्रम संसाधन विभाग						
बजट शीर्ष खण्ड 11 - 8000 - आकस्मिकता निधि						
मुख्य शीर्ष- 2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास						
03 - प्रशिक्षण						
003 - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण						
0005 - मुख्यालय स्थापना						
विषय शीर्ष	रुपये में	रुपये में	रुपये में	रुपये में	रुपये में	रुपये में
0005.28.05.परीक्षा संबंधी व्यय	0	1,34,91,000	0	39,99,000	1,34,91,000	94,92,000
<u>योग-</u>	0	1,34,91,000	0	39,99,000	1,34,91,000	94,92,000
विपत्र कोड-	8000 - 26-2230030030005					

अभ्युक्ति (कैफियत) :

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु परीक्षा के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। राशि का युगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अधिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति तृतीय अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुरूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

96CF

Approved



सत्यमेव जयते

# बिहार राज्य

आकस्मिकता निधि से अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र

2017-18 वर्ष के लिए

18

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
राज्य आकरिमकता निधि से अग्रिम के लिये आवेदन-पत्र

1. अतिरिक्त व्यय का संक्षिप्त विवरण  
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु परीक्षा के लिए परीक्षा संबंधी व्यय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
2. परिस्थितियां जिनके कारण आय-व्ययक में अधियाचना नहीं प्राप्त होने के कारण उपबंध न हो सका--
3. इसका स्थगित किया जाना क्यों संभव नहीं है ?  
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु परीक्षा के लिए परीक्षा संबंधी व्यय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
4. आकरिमकता निधि से आवश्यक अग्रिम की राशि तथा  
अग्रिम राशि 9492000/-  
संपूर्ण वर्ष अथवा अंशावधि के लिए इस काम पर  
चौरानवे लाख चौरानवे हजार मात्र  
संपूर्ण व्यय ( ~~चौरानवे लाख चौरानवे हजार मात्र~~) 1,34,91,000/-  
लगने वाला संपूर्ण व्यय ।
5. मांग का विनियोग तथा बजट शीर्ष जिसके अन्तर्गत पूरक उपबंध की आवश्यकता पड़ेगी ।  
मांग संख्या--26  
बजट शीर्ष खण्ड II--8000--आकरिमकता निधि--2230--श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष --03 प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003-- शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उप शीर्ष --0005--मुख्यालय स्थापना मांग संख्या--26, विपत्र कोड--26--2230030030005 )
6. क्या तुल्य राशि प्रत्यर्पित की गई है ?  
नहीं।
7. क्या वित्त विभाग ने प्रस्ताव में सहमति दे दी है ?  
हाँ।
8. क्या इस योजना की आकरिमकता कोष से इसको व्यय के वहन के लिये मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ?  
अर्पक्षित नहीं है ।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम एवं स्थान का नाम  
श्रम संसाधन विभाग अन्तर्गत प्रशिक्षण पक्ष के सहायक निदेशक परीक्षा बिहार पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

  
प्रधान सचिव ।

आप सं. 6/वी3-1015/15

टी3 / बजट 01 / 2018

38

पटना, दिनांक 16.01.18

पांच प्रतियों के साथ वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

  
प्रधान सचिव ।

13

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

ज्ञाप सं. /वि.

पटना, दिनांक

9492000 / --(रुपये चौरानवे लाख वेशानवे हजार मात्र) अग्रिम बिहार-राज्य आकरिमकता निधि से स्वीकृत किया जाता है ।

क्रमांक- 96 C.F.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अवर सचिव-सह-अपर आय-व्ययक पदाधिकारी,  
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

ब/प/वित्त/सह-अपर-१०/१७

ज्ञाप सं. /वि.


पटना, दिनांक..... 2018.

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना

सरकार के सचिव,श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना

वित्त विभाग (बजट शाखा 7)

सूचनार्थ अग्रसारित ।



सरकार के अवर सचिव-सह-अपर आय-व्ययक पदाधिकारी,  
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

अग्रिम की प्रतिपूर्ति तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण 2017-2018 में अनुसूची द्वारा की जायगी ।

सरकार के अवर सचिव-सह-अपर आय-व्ययक पदाधिकारी,

वि.स.मु. (वित्त) 86-मोनो एल.-1,00,000-11-11-1985-रा.प्र.सिंह

डी० न० ३० टी० (एफ०)

पिपत्र कोड सं०: 26-2230030030005

सावका संख्या:-टी 3/ बजट 01/2018

अनुदान संख्या:-26

वित्त विभाग का अनुसूची क्रमांक

14

विभाग का नाम:-श्रम संसाधन विभाग

स्कीम/ स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय:- स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय

केन्द्रीय योजनान्तर्गत योजना:-X

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना:- X

2017-18 के लिए राजस्व पर व्यय के आकरिमकता निधि आगणन के विवरण

शीर्ष (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा	घरम परिव्यय		आय व्ययक	वर्तमान घन राशि	संशोधित अनुमान	अनुपूरक आगणन	अग्रयुक्ति
	आवर्त्तिक	अनावर्त्तिक					
1	2	3	4	5	6	7	8
नई योजना/ पुरानी योजना -							
मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार							
उप मुख्य शीर्ष -03 प्रशिक्षण							
लघु शीर्ष -003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण							
उप शीर्ष-0005 मुख्यालय स्थापना इकाइयों							
0005.28.05 परीक्षा संबंधी व्यय	13491000		0	3999000	13491000	9492000	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु परीक्षा के लिए परीक्षा संबंधी व्यय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
योग	13491000	0	0	3999000	13491000	9492000	



प्रधान सचिव  
श्रम संसाधन विभाग